चोल कालीन ग्राम स्वशासन

स्थानीय ग्राम स्वशासन चोलकालीन प्रशासन की एक प्रगतिशील संकल्पना थी। ~~स्थानीय~~ चोल कालीन स्थानीय स्वशासन के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत परांतक प्रथम का उत्तरमेरूर अभिलेख है (1190 ई)

स्थानीय शासन में उर तथा सभा या महासभा ग्राम सदस्यों द्वारा निर्मित होती थी। उर सर्वसाधारण की तथा सभा अग्रहार या ब्राह्मणों की व्यवस्था से सम्बन्धित थी।

सभा की कार्यकारिणी समिति वारियम की सदस्यता के लिये उम्मीदवार को कुछ निश्चित अर्हतायें धारण करनी पड़ती थी। 1190 ई० एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि कभी कभी चुनाव के नियम सम्राट द्वारा निर्धारित किये जाते थे, किन्तु अधिकतर ग्राम सभा द्वारा ही इसके निर्धारण का प्रचलन था -

योग्यतायें

1. आयुभेद → 35-70 वर्ष के बीच
2. वित्तीय आधार → (I) - 1 से 1.5 एकड़ भूमि का मालिक है
   (II) अपनी भूमि पर बने मकान में रहता हो
   (III) 1/4 वेली कर देता हो
3. वैदिक योग्यता → वैदिक मंत्रो या एक वेद का ज्ञाता हो।

Scanned with CamScanner

अयोग्यतायें - (1) पिछला लेखा जोखा न देना
(2) तीन वर्ष तक समिति में रह चुका हो
(3) चोरी करने वाले
(4) पाप कर्मों के भागी व्यक्ति नामांकन के लिये अयोग्य माने जाते थे

चुनाव प्रक्रिया -

(1) ताड़ पत्र पर मतदान
(2) मतपत्र घर घर जाकर इकट्ठा किया जाता था
(3) मंदिर के प्रांगण में घड़े को रखकर किसी अबोध बालक से मतपत्र निकलवा कर चुना जाता था।
~~(4) इस~~ इस प्रकार चुनी गई 30 सदस्यीय वारियम से कई समितियों का निर्माण होता था। जैसे उपवन समिति, जलाशय समिति स्वर्ण समिति इत्यादि। एक ऐसी समिति भी थी जो सभी समितियों की रिपोर्ट लेती थी (लेखतर समिति)। सभा की बैठक गाँव के मन्दिर, वृक्ष के नीचे या जलाशय के किनारे होती थी।

सभा का कार्य - (1) कृषि योग्य भूमि का विस्तार, सिंचाई साधनों ~~का विस्तार~~ एवं, उद्यान का विकास आदि के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलाप को प्रोत्साहन
(2) गाँव की भूमि के उत्पादन तथा उस पर राजस्व का आकलन कर केन्द्रीय अधिकारियों की सहायता करना
(4) राजस्व वसूलना तथा भूमि एवं सिंचाई सम्बन्धी झगड़ों का निपटारा करना
(5) अपराधियों को दंडित करना

Scanned with CamScanner

स्थानीय स्वशासन चोल शासकों की मजबूरी नहीं थी, बल्कि उनकी सुनियोजित योजना का परिणाम था। इसके माध्यम से केन्द्र बिना हस्तक्षेप किए ही रखे स्थानीय स्तर तक अपने प्रभावी पहुँच को बनाये रखता था। उसमें केन्द्र की नीति हस्तक्षेपकारी न रहकर निरीक्षणकर्ता की थी रही थी, अति आवश्यक होने पर ही मामलों में हस्तक्षेप होता था।

Scanned with CamScanner